प्रधानमंत्री आवास योजनाएं (शहरी)

आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / कम आय वर्ग(LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजनाएं जारी की गई हैं, जिन्हें बैंक द्वारा लागू किया गया है । योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है -

(अ) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / कम आय वर्ग(LIG)के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना** - योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(1) योजना का नाम - CLSS for EWS / LIG

(2) योजना अवधि - वर्ष 2015 से 2022 तक

(3) हितग्राही - ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं हैं । परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र / पुत्री को माना जाएगा । परिवार की महिला प्रमुख को प्राथमिकता दी जाएगी अथवा महिला के साथ पुरुष (पति / पत्नी) को संयुक्त रूप से ऋण सुविधा दी जाएगी ।

(4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु.3,00,000.00 लाख तक है , वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आएंगे । इस वर्ग के आवास का कुल कारपेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित 30 वर्ग मीटर तक होगा ।

(5) कम आय वर्ग (LIG) – ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु.3,00,001.00 से रु. 6,00,00.00 लाख तक है, वह कम आय वर्ग की श्रेणी में आएंगे । इस वर्ग के आवास का कुल कारपेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित 60 वर्ग मीटर तक होगा ।

(6) अनुदान हेतु पात्र ऋण राशि - योजनान्तर्गत रु. 6.00 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त होगा ।

(7) ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत 6.5% की दर से अधिकतम 20 वर्ष तक अथवा ऋण की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक ब्याज अनुदान की पात्रता होगी । योजना के अन्य घटकों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही उक्त ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे ।

(8) अन्य - हितग्राही को योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण / क्रय एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे ।

(9) कवरेज - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैध कस्बा (Town) और CLSS for EWS / LIG के लिए नोटिफाइड कस्बे भी पात्र होंगे ।

(10) योजनान्तर्गत आवास ऋण के आवेदन सीधे बैंक को प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

--2--

(ब) मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना - योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(1) योजना का नाम – Credit linked Subsidy Scheme For Middle Income Group

(2) योजना प्रारंभ दिनांक - 01/01/2017

(3) पात्रता - (i) ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।

(ii) परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र / पुत्री माने जाएंगे । परिवार के ऐसे वयस्क व्यक्ति,जिसकी स्वतंत्र आय है तो परिवार से अलग माना जा सकता है । विवाहित पति/पत्नि में से किसी एक को ब्याज अनुदान की पात्रता आय सीमा के अधीन होने पर होगी ।

(iii)हितग्राही या उसके परिवार द्वारा भारत सरकार की किसी आवास योजना का लाभ न लिया गया हो ।

(4) मध्यम आय वर्ग की श्रेणी -

(i) MIG- I - प्रतिवर्ष रु.6,00,001/- से रु. 12,00,000/- तक की आय वाले इस श्रेणी में आएंगे ।

(ii) MIG – II – प्रतिवर्ष रु. 12,00,001/- से रु. 18,00,000/- तक की आय वाले इस श्रेणी में आएंगे ।

(6) कार्पेट एरिया - (i) MIG- I के लिए 90 वर्ग मीटर एवं MIG–II के लिए 110 वर्ग मीटर कुल कार्पेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित निर्धारित ।

(7) ब्याज अनुदान हेतु पात्र ऋण राशि - MIG- I हेतु रु.9,00,000/- एवं MIG- II हेतु रु. 12,00,000/-

(8) ब्याज अनुदान - MIG-I के हितग्राहियों को 4% एवं MIG-II के हितग्राहियों को 3% ब्याज अनुदान 20 वर्ष तक अथवा ऋण की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक ब्याज अनुदान की पात्रता होगी

(9) कवरेज - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैध कस्बा (Town) और CLSS-MIG के लिए नोटिफाइड कस्बे भी पात्र होंगे ।

(10) अन्य - हितग्राही को योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण / क्रय एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे ।

(11) योजनान्तर्गत आवास ऋण के आवेदन सीधे बैंक को प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें ।

===x===